झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–26.05.2025 एवं दिनांक–27.05.2025 को लोहरदगा एवं गुमला जिले में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–26.05.2025 एवं दिनांक–27.05.2025 को लोहरदगा एवं गुमला जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही इन जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

लोहरदगा जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–26.05.2025**

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- दिनांक–26.05.2025 को जनवितरण प्रणाली विक्रेता, प्रगति महिला मण्डल, अनुज्ञप्ति सं0–09/2017, किस्को मोड़ शांति नगर, वार्ड नं0–5, लोहरदगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन डीलर को ई–पॉस मशीन से पर्ची निकाल कर दिखाने को कहा गया। इस पर डीलर द्वारा बताया गया कि पूर्व में पर्ची का प्रिंट निकाला जा चुका है, इसलिये दोबारा पर्ची नहीं निकल पाएगा। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री अमान अंसारी, अनुज्ञप्ति सं0–12/87, ग्राम+पंचायत–चिरी, प्रखण्ड–कुड़ू, लोहरदगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। राशन डीलर द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या हमेशा रहती है, जिस कारण राशन वितरण में कठिनाई होती है। उक्त राशन डीलर को नमक सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्देश दिया गया। आसपास के लाभुकों से राशन वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री राममोहन साहु, अनुज्ञप्ति सं0–01/2017, ग्राम+पंचायत–जिमा, प्रखण्ड–कुड़ू, लोहरदगा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आसपास के लाभुकों से राशन वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई। ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची के सम्बन्ध में पूछने पर राशन डीलर द्वारा कहा गया कि डेढ–दो माह से मशीन से पर्ची नहीं निकल पा रहा है। वहाँ उपस्थित लाभुकों द्वारा बताया गया कि पहले पर्ची दिया जाता था, किन्तु दो–तीन माह से उन्हें पर्ची नहीं मिल पा रहा है। उक्त राशन डीलर के दुकान में सूचना पट्ट लगा

हुआ नहीं पाया गया। जब डीलर द्वारा सूचना पट्ट निकाला गया, तो उसमें योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी अंकित नहीं पाई गई। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को चेतावनी देते हुए एक सप्ताह के अन्दर सुधार करने का निर्देश दिया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

➢ ***सेंट्रलाइज्ड किचेन***

- दिनांक–26.05.2025 को चिरी स्थित अन्नामृता फाउंडेशन सेंट्रलाइज्ड किचेन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसमें भोजन की गुणवत्ता, रख–रखाव, साफ–सफाई, बर्तनों की धुलाई, स्टोर रूम आदि का भी अवलोकन किया गया। उक्त किचेन से जिले के दो प्रखण्ड कुडू एवं लोहरदगा के सभी विद्यालयों में कंटेनर में सील कर भोजन भेजा जाता है। किचेन के गोदाम में रखे चावल एवं नमक के भंडारण का भी निरीक्षण किया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र***

- दिनांक–26.05.2025 को चिरी–II, पंचायत–चिरी, प्रखण्ड–कुडू, लोहरदगा के आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केन्द्र के आसपास रहने वाले बच्चों से मिलने वाले भोजन के बारे में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रतिदिन भोजन, हलुवा एवं अण्डा मिलता है। उक्त केन्द्र से लाभान्वित होने वाली महिलाओं द्वारा बताया गया कि उन्हें मीठा एवं नमकीन मिला कर तीन पैकेट पोषाहार मिलता है। एक अन्य महिला द्वारा बताया गया कि पहले संतान जन्म के समय फार्म भरने के बावजूद उन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा पंचायत सचिव को आयोग का वाट्सएप्प नंबर उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित लाभुक की शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया।

(फोटो की प्रति संलग्न)

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र***

- दिनांक–26.05.2025 को लोहरदगा जिले के भण्डरा प्रखण्ड स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र साफ सुथरा पाया गया। उक्त केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा बताया गया कि पहले उनके बच्चे बहुत कमजोर थे, अब सुधार हुआ है। केन्द्र में समय पर भोजन मिलता है। कुछ लाभुक आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से एवं कुछ लाभुक स्वयं आकर केन्द्र में अपने बच्चे का उपचार कराने के लिये भर्ती कराई है। कुपोषण उपचार केन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि आवंटन की कमी के कारण बच्चों की माताओं को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आवंटन मिलते ही बच्चों की माताओं को भुगतान कर दिया जाएगा। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ समीक्षात्मक बैठक, लोहरदगा।

- दिनांक–26.05.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक परिसदन भवन, लोहरदगा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे लोहरदगा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आई0टी0डी0ए0 परियोजना निदेशक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नगर पालिका पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- लोहरदगा जिले के सम्बन्धित पणन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में नेटवर्क की समस्या रहती है एवं एक साथ तीन माह का राशन भी वितरण करना है। ऐसी स्थिति में राशन वितरण में परेशानी होगी। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लिखित रूप में आयोग को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया।

गुमला जिला

❖ स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–27.05.2025

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- दिनांक–27.05.2025 को जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री मुकेश कुमार, अनुज्ञप्ति सं0–JH33404–366–2024 पंचायत–फसिया, जिला–गुमला का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन दुकान अपराह्न 12:45 बजे बन्द पाया गया, जबकि दुकान बन्द करने का समय अपराह्न 02:00 बजे निर्धारित है। दुकान के बाहर दिवार पर लगे सूचना पट्ट में योजना एवं लाभुकों को दिये जाने वाले लाभ से सम्बन्धित जानकारी अंकित नहीं थी। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्रीमती रीना देवी, अनुज्ञप्ति सं0–08/96, ग्राम–बेहराटोली, पंचायत–पुग्गु, जिला–गुमला का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन दुकान बन्द पाया गया, पूछने पर राशन डीलर द्वारा बताया गया कि वे भोजन करने गए थे। दुकान के बाहर सूचना पट्ट में अनाज का आवंटन एवं भण्डारण से सम्बन्धित सूचना

अंकित नहीं था। दुकान के अन्दर केवल कार्ड का प्रकार एवं संख्या अंकित पाया गया। आसपास के लाभुक से ई–पास से निकलने वाले पर्ची मिलने के सम्बन्ध में पूछा गया, तो उनके द्वारा पर्ची मिलने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को सूचना पट्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री महावीर साहु, अनुज्ञप्ति सं0–05/89, ग्राम+पंचायत–करौंदी, प्रखण्ड–गुमला, जिला–गुमला का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में ई–पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची के सम्बन्ध में पूछने पर राशन डीलर द्वारा रविवार से ही ई–पॉस मशीन खराब होने की बात कही गई। पाया गया कि राशन दुकान में सूचना पट्ट तो है, किन्तु किसी प्रकार की कोई जानकारी अंकित नहीं है। जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा राशन डीलर को दिया गया बैनर भी दुकान में नहीं पाया गया। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को चेतावनी देते हुए सूचना पट्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र***

- दिनांक–27.05.2025 को गुमला प्रखण्ड के फसिया पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र (कोड–20366070813) का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केन्द्र में लाभुकों से पूछने पर उनके द्वारा नियमित तौर पर पोषाहार एवं बच्चों को अण्डा मिलने की बात कही गई। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बच्चों के लिये भोजन कूकिंग गैस में बनता है एवं पर्याप्त संख्या में बर्तन भी हैं। कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराया जाता है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, गुमला***

- दिनांक–27.05.2025 को झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, गुमला के गोदाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बताया गया कि गोदाम में गेहूँ की थोड़ी कमी है। गोदाम में रखे चावल को सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ समीक्षात्मक बैठक, गुमला।

- दिनांक–27.05.2025 को अपराह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक परिसदन भवन, गुमला में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे गुमला जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।

(फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान VC के माध्यम से जुड़े प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी द्वारा भी बताया गया कि 2जी मशीन होने के कारण राशन वितरण में काफी कठिनाई होती है। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि माननीय विभागीय मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान VC के माध्यम से जुड़े प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भरनो द्वारा बताया गया कि किसी लाभुक को आयुष्मान कार्ड द्वारा ईलाज कराने के लिये राशन कार्ड की आवश्यकता होती है एवं लाभुक द्वारा किया गया ऑनलाइन आवेदन क्रमवार होने के कारण राशन कार्ड नहीं बन पाता है। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा बताया गया कि काफी सारी शिकायतें आती हैं कि लोगों का आधार किसी और के राशन कार्ड से लिंक हो गया है, जिसे जिला स्तर पर सुधार किया जाता है। यह व्यवस्था प्रखण्ड स्तर पर भी होना चाहिए, ताकि लाभुकों को परेशानी न हो। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को लिखित रूप में आयोग को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग स्तर पर भी विभाग से पत्राचार किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला द्वारा बताया गया कि तीन माह में जो चावल का आवंटन आता है, वह विलंब से आने के कारण समस्या होती है। गोदाम तक चावल आने एवं गोदाम से चावल विद्यालयों तक भेजने में काफी विलंब हो जाता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लिखित रूप में आयोग को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग स्तर पर भी विभाग से पत्राचार किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला द्वारा बताया गया कि आवंटन नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र को राशि उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लिखित रूप में आयोग को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग स्तर पर भी विभाग से पत्राचार किया जा सके।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि गुमला जिले में पणन पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की काफी कमी है। अधिकारी प्रभार में हैं एवं कार्यबोझ अधिक है। ऐसे में कार्य करने में काफी कठिनाई होती है।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लोहरदगा एवं गुमला जिलों में बैठकों के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों से कहा गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान कोई भी राशन डीलर ई–पॉस से मशीन से पर्ची निकाल कर नहीं दिखा पाया एवं लाभुकों को पर्ची नहीं मिलने की बात सामने आई है। डीलर द्वारा मशीन में कागज का टुकड़ा फंसा दिया जाता है, जिससे प्रिंट नहीं निकल सके। लाभुकों को पर्ची नहीं मिलने से उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें कितना राशन मिलना है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को पर्ची मिल सके।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह भी देखने को मिला कि राशन दुकानों में सूचना पट्ट नहीं है। कुछ डीलर के दुकान में सूचना पट्ट है, किन्तु उसमें किसी भी प्रकार की जानकारी अंकित नहीं है। इससे लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं हो पाती है। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड से नाम डिलिट करने, डीलर बदलने, लिंग सुधार एवं

उम्र सुधार करने से सम्बन्धित आवेदन में विलंब नहीं किया जाए। लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुसार राशन दिलाना सुनिश्चित करें।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, तो उस आवेदन की अद्यतन स्थिति से आवेदनकर्ता को अवगत कराएँ।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके। लोहरदगा एवं गुमला जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके जिले में हरा राशन कार्ड की रिक्ति है। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा लाभुकों का हरा राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित दोनों जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने–अपने प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ।

इसके साथ लोहरदगा एवं गुमला जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

30.5.25
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

1. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, प्रगति महिला मण्डल, अनुज्ञप्ति सं0–09/2017, किस्को मोड़ शांति नगर, वार्ड नं0–5, लोहरदगा का स्थलीय निरीक्षण।

2. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री अमान अंसारी, अनुज्ञप्ति सं0–12/87, ग्राम+पंचायत–चिरी, प्रखण्ड–कुडू, लोहरदगा का स्थलीय निरीक्षण।

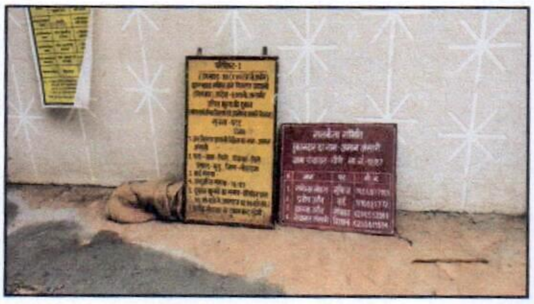

3. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री राममोहन साहु, अनुज्ञप्ति सं0–01/2017, ग्राम+पंचायत–जिमा, प्रखण्ड–कुडू, लोहरदगा का स्थलीय निरीक्षण।

4. लोहरदगा के चिरी स्थित अन्नामृता फाउंडेशन सेंट्रलाइज्ड किचेन का स्थलीय निरीक्षण।

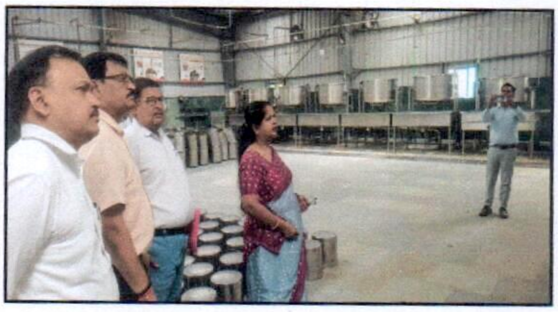

5. चिरी–II, पंचायत–चिरी, प्रखण्ड–कुडू, लोहरदगा के आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण।

6. लोहरदगा जिले के भण्डरा प्रखण्ड स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण।

7. परिसदन भवन, लोहरदगा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

8. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री मुकेश कुमार, अनुज्ञप्ति सं0– JH33404–366–2024
पंचायत–फसिया, जिला–गुमला

9. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्रीमती रीना देवी, अनुज्ञप्ति सं0–08 / 96, ग्राम–बेहराटोली, पंचायत–पुग्गु, जिला–गुमला का स्थलीय निरीक्षण।

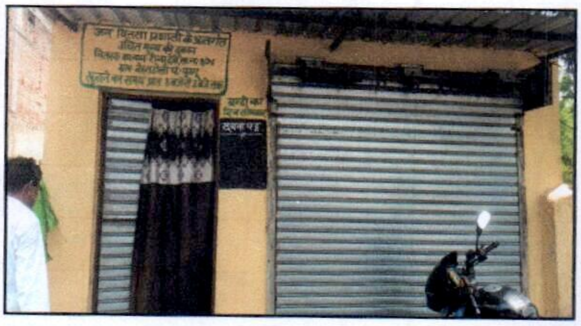

10. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री महावीर साहु, अनुज्ञप्ति सं0–05 / 89, ग्राम+पंचायत–करौंदी, प्रखण्ड–गुमला, जिला–गुमला का स्थलीय निरीक्षण।

11. गुमला प्रखण्ड के लक्ष्मण नगर, फसिया पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्र (कोड–20366070813) का स्थलीय निरीक्षण।

12. झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, गुमला का स्थलीय निरीक्षण।

13. परिसदन भवन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।